रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 1974

श्रावण 3, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2345/17-वि-1--96-73

लखनऊ, 25 जुलाई, 1974

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन, राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 23 जुलाई, 1974 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1974)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

ऐक्ट संख्या ... 1851

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दि इण्डियन टोल्स ऐक्ट, 1851 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक पहिली अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

ऐक्ट संख्या 8, 1851 में नयी धारा 2–क, 2–ख, 2–ग, 2–घ, 2–ङ, और 2–च का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित दि इण्डियन टोल्स ऐक्ट, 1851, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

निगम द्वारा बनाई गई, अनुरक्षित तथा मरम्मत की गई सड़कों तथा पुलों पर पथकर।

"2-क—किसी ऐसी सड़क या पुल पर, जिसे उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है (जिसे आगे निगम कहा गया है) के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो अथवा जिसे एतद्पश्चात् उक्त निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय, धारा 2 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राज्य सरकार के व्यय पर बनाई गई या मरम्मत की गई सड़कों या पुलों पर लागू होते हैं।

निगम को पथ कर आदि का प्रबन्ध तथा वसूल करने की शक्ति

2-ख—(1) धारा 2 तथा 2–क के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार निगम को किसी ऐसी सड़क या पुल पर, जिसे निगम के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो, अथवा जिसे एतद्पश्चात् निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय, अथवा जिसका स्वामित्व, अनुरक्षण तथा मरम्मत राज्य सरकार द्वारा निगम को अन्तरित की गई हो अथवा एतद्पश्चात् की जाये, लगाये गये सभी पथकर का प्रबन्ध और उसे वसूल करने का प्राधिकार दे सकती है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निगम किसी पथकर का प्रबन्ध करने तथा उसे वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया जाय तो राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात् राज्य की संहत निधि से, निगम द्वारा इस प्रकार वसूल किये गये और गत वित्तीय वर्ष में सरकारी कोषागार में उसके द्वारा जमा किये गये पथकर के बराबर धनराशि निकालेगी, और उसे निगम को देगी और यह भुगतान राज्य की संहत निधि पर भारित व्यय होगा।

पथकर के उद्ग्रहण को पट्टे पर देने की राज्य सरकार तथा निगम की शक्ति

2–ग—(1) धारा 2, धारा 2–क या धारा 2–ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उक्त धाराओं के अधीन किसी सड़क या पुल पर उद्गृहीत पथकर को वसूल करने का अधिकार किसी व्यक्ति को, चाहे सार्वजनिक नीलाम द्वारा या वैयक्तिक बातचीत से, एक बार में पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उचित समझे पट्टे पर दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार से पट्टे की शर्तों तथा निबन्धनों को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिये प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी, जैसी, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम निदेश दे।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि किसी पट्टेदार द्वारा देय हो तो, राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे, और निगम की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) ऐसे पट्टेदार द्वारा देय धनराशि को उल्लिखित करते हुये कलेक्टर को प्रमाण-पत्र भेज सकता है और यह अनुरोध कर सकता है कि कार्यवाहियों के व्यय सहित ऐसी धनराशि इस प्रकार वसूल की जाय मानो कि वह भू-राजस्व की बकाया हो।

(3) प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें उल्लिखित धनराशि को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

(4) उपर्युक्त किसी ऐसी देय धनराशि को वसूल करने के लिये ऐसे पट्टेदार के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।

पट्टेदारों तथा उनके अभिकर्त्ताओं की शक्ति

2–घ—धारा 2 या धारा 2–क के अधीन उद्गृहीत पथकर के प्रबन्ध तथा उसे वसूल करने में निगम द्वारा सवायोजित सभी व्यक्ति और जहां पथकर को वसूल करने का अधिकार धारा 2–ग के अधीन पट्टे पर दिया गया हो तो पट्टेदार और उसके द्वारा ऐसा पथकर वसूल करने के निमित्त उसके अभिकर्त्ता के रूप में सेवा-योजित प्रत्येक व्यक्ति धारा 3 के अर्थान्तर्गत पथकर वसूल करने के लिये नियुक्त अधिकारी समझे जायेंगे और, अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे सभी दायित्वों तथा आभार जिसके अन्तर्गत धारा 7 की अपेक्षानुसार पथकर-सारणी तथा शक्तियों के विवरण को प्रदर्शित करने का दायित्व है, के अधीन होंगे जो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के लिये हों।

रसीद देने का दायित्व

2-ङ—पट्टेदार अथवा उसकी ओर से पथकर वसूल करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, पथकर के लिये रसीद देगा जिस पर उसके यथाविधि हस्ताक्षर होंगे।

सामान्य शास्ति

2-च—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी ऐसे कार्य या लोप का दोषी हो जिसके लिये इस अधिनियम में किसी अन्य दण्ड की व्यवस्था न हो, अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।"

3—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय अर्थात्:— नयी धारा 9 का बढ़ाया जाना

नियम बनाने की शक्ति

"9-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

No. 2345(2)/XVII-V-1—96-73

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Tolls (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 23, 1974:

THE INDIAN TOLLS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. Act No. 22 of 1974)

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

A

ACT

to amend the Indian Tolls Act, 1851, *in its application to Uttar Pradesh*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Tolls (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1974.

Addition of new Sections 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E and 2-F in Act VIII of 1851.

2. *After* section 2 of the Indian Tolls Act, 1851, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter called the principal Act, the following sections shall be *inserted*, namely :—

Tolls on roads, and bridges made, maintain or repaired by the Corporation.

"2-A. The provisions of section 2 shall apply to any road or bridge which has been, or shall hereafter be made, maintained or repaired at the expense of the Uttar Pradesh State Bridge Corporation Limited, a Government company registered under the Companies Act, 1956 (hereinafter referred to as the Corporation), as they apply to roads and bridges made or repaired at the expense of the State Government.

2-B. (1) Without prejudice to the generality of the provisions of sections 2 and 2-A, and subject to any rules made under this Act, or to any general or special orders of the State Government, the State Government may authorise the Corporation to manage and collect all tolls levied upon any road or bridge which has been or shall hereafter be made, maintained or repaired at the expense of the Corporation, or the ownership, maintenance and repairs whereof has been or shall hereafter be transferred to the Corporation by the State Government.

Powers of a Corporation to manage and collect tolls, etc.

(2) Where the Corporation is authorized to manage and collect any tolls under sub-section (1), the State Government shall, at the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the tolls so collected by the Corporation and deposited by it in the Government treasury in the preceding financial year, and pay the same to the Corporation, and such payment shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State.

2-C. (1) Notwithstanding anything contained in section 2, section 2-A or section 2-B the State Government or the Corporation as the case may be, may lease the right to collect the tolls levied under the said sections upon any road or bridge to any person by public auction or by private negotiations for a period not exceeding five years at any one time, on such terms and conditions as the State Government or the Corporation, as the case may be, may deem fit :

Power of the State Government and the Corporation to lease and levy of tolls.

Provided that the lessee shall be required to furnish such security for due fulfilment of the terms and conditions of the lease as the State Government or the Corporation, as the case may be, may direct.

(2) Where any sum payable by a lessee under a lease granted under sub-section (1) is due, then, in the case of State Government, such officer as may be authorized in that behalf by the State Government by general or special order, and in the case of the Corporation, the Managing Director thereof, may send a certificate to the Collector, mentioning the sum due from such lessee and requesting that such sum together with costs of the proceedings be recovered as if it were an arrear of land revenue.

(3) The Collector on receiving the certificate shall proceed to recover the amount stated therein as an arrear of land revenue.

(4) No suit for the recovery of any sum due aforesaid shall lie in the civil court against such lessee.

2-D. All persons employed by the Corporation in the management and collection of tolls levied under section 2 and section 2-A and where the right to collect toll has been leased under section 2-C, the lessee and every person appointed by the lessee as his agent for the purpose of collection of such tolls shall be deemed within the meaning of section 3 to be an officer appointed to collect the tolls and shall, except as otherwise provided, exercise all the powers and be subject to all the obligations and liabilities attaching persons so appointed, including the obligation to exhibit a table of toll and statement of penalties required by section 7.

Powers of lessee and their agents.

2-E. The lessee or any person collecting the toll on his behalf shall issue a receipt therefor duly signed by him in such form and manner as may be prescribed by rules.

Liability to issue receipt.

2-F. Any person guilty of any act or omission in contravention of the provisions of this Act, for which no other punishment is provided in this Act, shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees."

General penalty.

3. *After* section 8 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 9.

"9. (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made. be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 124 सा० (विधायिका) (हि०)—1974—450 (मै०) ।